हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बांकली

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 62/2011
दायरा तिथि 01.08.2011
निर्णय तिथि 27.06.2016

वादीः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

गिरधरीदान पुत्र रावतदानजी
जाति चारणा निवासी बिरामी
तहसील सुमेरपुर

1–हुलासकंवर पुत्री थानदानजी
2–स्व.रतुदान पुत्र उमदानजी के का.मु.–
2/1–डूंगरदान पुत्र रतुदानजी
2/2–मोहनकंवर पत्न रतुदानजी
3–भैरदान पुत्र उमदानजी
4–अर्जुनदान पुत्र हेमदानजी
5–सुमेरदान पुत्र हेमदानजी
6–मनुकंवर उर्फ लीलाकंवर पत्नी चालकदानजी
7–रूपदान पुत्र रावतदानजी
8–सालगदान पुत्र रावतदानजी
9–स्व.जवारदान पुत्र देवीदानजी के का.मु.–
9/1–करणीदान पुत्र जवारदानजी
9/2–किरण पुत्री जवारदानजी
9/3–भागुकंवर पुत्र जवारदानजी
10–भऊदान पुत्र देवीदानजी
11–जोरदान पुत्र देवीदानजी
जातिगण चारण निवासीगण बिरामी
तहसील सुमेरपुर
12–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 RTAct,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 27.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–बांकली में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद विषयक–स्थिति अनुसार सरहद मौजा बिरामी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 575, 576, 577 कुल रकबा 6.41 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 211.66 के बारे में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व बंट–हिस्सा मुजब खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का अमल दरामद करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2064–67 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि कथित वाद पत्रावली पंजीबद्ध की गई। यह पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाबदावा हेतु विचाराधीन रहते गत् दिनांक 09.06.2016 को आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बिरामी में प्रस्तुत होने पर पक्षकारों ने इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया "कि मौजा बिरामी खसरा नं. 575, 576, 577 में से 577 के दक्षिण दिशा में नदी के सहारे–2 सामलाती रास्ता रखते हुए खसरा नं. 575 व 576 सामलाती गै.मु.रास्ता व गै.मु.बेरा तक सामलाती रखा गया है। खसरा नं. 577 शेष रकबा के दो भाग करके लौटरी से दोनों पक्षकारों का बंटवाडा करने हेतु पक्षकारान सहमत है, 1/2 (आधा) भाग वादी व प्रतिवादी सं.

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

07 लगाय 11 तक के रहेगा एवं 1/2 (आधा) भाग प्रतिवादी सं.01 लगाय 06 के रहेगा" अतः हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करावे। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को बाद सत्यापन, तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों के कथित राजीनामा की इबारत अनुसार संबंधित पटवारी बिरामी व भू-अभिलेख निरीक्षक तखतगढ से वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् पक्षकारों की मौजूदगी व सहमति से लौटरी द्वारा किए गये बंटवाडे की मौका फर्द प्रस्तुत की, जिसे पक्षकारान ने स्वीकार कर अपने-2 हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए। बंटवाडा की कथित मौका फर्द को रेकर्ड पर लिया गया।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित तथ्यों पर विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत अनुसार संबंधित पटवारी बिरामी व भू-अभिलेख निरीक्षक तखतगढ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों की मौजूदगी व सहमति से लौटरी द्वारा किए गये बंटवाडे की मौका फर्द के अनुरुप निम्न रूपेण पक्षकारों के मध्य अंतिम बंटवाडा किए जाने व इसी आधारित पक्षकारों को उनके हक-हिस्से में आयी भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बिरामी, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादगस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 575, 576, 577 कुल रकबा 6.41 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 211.66 के बारे में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत अनुसार संबंधित पटवारी बिरामी व भू-अभिलेख निरीक्षक तखतगढ द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में पक्षकारों की मौजूदगी व सहमति से लौटरी द्वारा किए गये बंटवाडे की मौका फर्द के अनुरुप निम्न रूपेण पक्षकारों के मध्य अंतिम बंटवाडा किए जाने एवं इसी आधारित पक्षकारों को उनके हक-हिस्से में आयी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार का विवरण	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	किस्म भूमि
A	हुलासकंवर पुत्री थानदान, मोहनकंवर पत्नी रतनदान, भंवरदान पुत्र रतनदान, (भैरदान पि.उमदान), मुन्नीकंवर पत्नी भैरदान, गुलाबदान, दलपदान पि. भैरदान, उषाकंवर, संतोषकंवर पुत्रीया भैरदान, अर्जुनदान, सुमेरदान पि.हेमदान, मनुकंवर उर्फ लीलाकंवर पत्नी चालकदान कौम चारण सा. देह खातेदार	577	3.14	चा.प्र.जा.अ.
		01	**3.14**	—
B	रूपदान, गिरधारीदान, सालगदान पि. रावतदान, जवारदान पुत्र देवीदान, भरूदान, जोरदान पि.देवीदान कौम चारण सा.देह खातेदार	577/1	3.14	चा.प्र.जा.अ.
		01	**3.14**	—
C	संयुक्त खातेदारी भूमि	575 576	0.10 0.06	गै.मु.बेरा गै.मु.रास्ता
		2	**0.16**	—

नोट तस्दीक सुदा राजीनामा व बंटवाडा फर्द मौका रिपोर्ट इस निर्णय/डिक्री का अभिन्न अंग माना जायेगा।

उपरोक्त बंटवाडा संबंधित निर्णय/डिक्री अनुसार तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी बिरामी राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे। माफिक निर्णय, डिक्री-पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 27.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प- अटल सेवा केन्द्र बांकली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner